



नेहरू युवा केन्द्र संगठन
Nehru Yuva Kendra Sangathan

साथ साथ
कल की ओर...



नेहरू युवा केन्द्र संगठन

Nehru Yuva Kendra Sangathan

स्वायत्तशासी संस्था
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारत सरकार

an Autonomous Body under the
Ministry of Youth Affairs & Sports
Government of India



क्रमांक: नेयुकेसं/रा.भा./वा.का./2023-24/ 262

दिनांक 08 मई, 2023

प्रेषित :- समस्त क्षेत्रीय निदेशक/राज्य निदेशक/ जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र संगठन।

प्रेषक:- डॉ. भुवनेश जैन, निदेशक (रा.भा.) नेहरू युवा केन्द्र संगठन।

विषय:- सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम वर्ष के संबंध में।

उपरोक्त विषयक पत्र क्रमांक 11017/1/2021-हिन्दी दिनांक 24 अप्रैल, 2023 श्री फूल कंवार, उप निदेशक (राजभाषा), भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुआ है। इस पत्र के साथ उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2023-24 की प्रति अग्रसारित की है (प्रति संलग्न)। इसे आप राजभाषा विभाग की वेब साइट www.rajbhasha.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

आपसे अनुरोध है कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार "क" "ख" एवं "ग" क्षेत्रवार दिये गये निर्देशों के अनुरूप अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यालयों के कर्मचारियों के साथ राज्य जिला स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में चर्चा करें तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ और भरसक प्रयास करें।

सहयोग के लिए धन्यवाद

भुवनेश
8/5/23

(डॉ. भुवनेश जैन)
निदेशक (रा.भा.)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

- निजी सचिव, महानिदेशक, नेयुकेसं, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- निदेशक, (वित्त) नेयुकेसं, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- उप सचिव (रा.भा.) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- अधिकारियों/कर्मचारियों नेयुकेसं, मुख्यालय, - आपसे अनुरोध है कि मुख्यालय में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भूतल, 4 जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

Ground Floor, 4 Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001

Phone : 011-23442800

Visit us at <http://www.nyks.nic.in>



सं.ई-11017/1/2021-हिंदी
भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 24 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि इसमें निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास किए जाएं और इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाए।

2. उक्त वार्षिक कार्यक्रम की पूरी प्रति को हिंदी और अंग्रेजी में राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(फूल कंवार)
उप निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

1. सचिव (युवा कार्यक्रम) के प्रधान निजी सचिव
2. सचिव (खेल) के प्रधान निजी सचिव
3. संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम)/ संयुक्त सचिव (खेल), संयुक्त सचिव (विकास) के निजी सचिव
4. सभी निदेशक/ उप सचिव/ अवर सचिव/ अनुभाग अधिकारी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस अनुरोध सहित कि इसकी प्रति अपने अधीनस्थ कार्यालयों को परिचालित करें :-

1. महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण (मुख्यालय), नई दिल्ली ।
2. महानिदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, नई दिल्ली ।
4. निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बदूर ।
5. कुलपति, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर ।
6. निदेशक, मिशन निदेशालय-खेल विकास, प्रगति विहार हास्टल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
7. महानिदेशक, राष्ट्रीय डोप-रोधी एजेंसी (नाडा)
8. वैज्ञानिक निदेशक, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल)
9. निदेशक, मिशन निदेशालय-खेल विकास, प्रगति विहार हाॅस्टल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

3.17.2023

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेसन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	40%	30%	20%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।

विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए कार्यक्रम

(क) हिंदी में पत्राचार (भारत/विदेश में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ)	50%
(ख) फाइलों पर हिंदी में टिप्पण	50%
(ग) वर्ष के दौरान नराकास की बैठकों की संख्या (नराकास का गठन किसी नगर में केंद्र सरकार के 7 या इससे अधिक कार्यालय होने की स्थिति में किया जाए)	प्रत्येक वर्ष में एक बैठक
(घ) वर्ष के दौरान विराकास (विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की बैठकों की संख्या (विराकास का गठन कार्यालय-अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाए)	प्रत्येक तिमाही में एक बैठक
(ड.) कंप्यूटरों सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी उपलब्धता.	100%
(च) हिंदी टंकण कार्य करने वाले कर्मचारी/आशुलिपिक	प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक
(छ) दुभाषियों की व्यवस्था	प्रत्येक मिशन/दूतावास में स्थानीय भाषा से हिंदी में और हिंदी से स्थानीय भाषा में अनुवाद के लिए दुभाषियों की व्यवस्था की जाए ।